

एनडीसीसी-11 भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 30 जून, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27 जून, 2023 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 27 जून, 2023 को संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, 123 नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में 31.03.2023 को समाप्त हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक कार्यक्रम 2023-2024 में दिए गए लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में की गई समीक्षा और लिए गए निर्णयों के आधार पर बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया गया है जिस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त में अपने प्रभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें।



(राकेश कुमार)
निदेशक(राजभाषा)

दूरभाष : 23438192

ई-मेल: dir_ol@mha.gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य निदेशक/उप सचिव।
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (सीआईसी) के निजी सचिव।

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27 जून, 2023 को सम्मेलन कक्ष-123, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में 27 जून, 2023 को सम्मेलन कक्ष-123, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2. बैठक की कार्यवाही के दौरान, सर्वप्रथम राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। तत्पश्चात पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर सदस्य सचिव द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
3. बैठक की कार्यवाही के दौरान, चर्चा करते हुए 28 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और जिन अनुभागों की रिपोर्टें प्राप्त नहीं हो रही हैं उनके संबंध में अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिये।

(कार्रवाई: सभी सदस्य/उप सचिव)

4. बैठक में चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने बताया गया कि अभी भी बहुत से अनुभाग धारा 3(3) का उल्लंघन कर रहे हैं। धारा 3(3) के सभी कागजात द्विभाषी जारी नहीं किए जा रहे हैं। अधिसूचना तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात तो द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां उनकी अनिवार्यता है किन्तु सामान्य आदेश, परिपत्र आदि दस्तावेज पूरी तरह द्विभाषी जारी नहीं किए जा रहे हैं। सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(कार्रवाई: सभी सदस्य/अनुभाग)

5. चर्चा के दौरान हिंदी पत्राचार के कम प्रतिशत और फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियों के प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया गया और कहा गया कि सभी अधिकारी इस संबंध में अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि हिंदी पत्राचार और फाइलों पर हिंदी टिप्पणियों को बढ़ाया जा सके। सभी प्रभागों द्वारा 'क' क्षेत्र में 100% हिंदी पत्राचार तथा 75% प्रतिशत टिप्पणियां हिंदी में करने के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रयास किए जाएं।

(कार्रवाई: सभी सदस्य/अनुभाग)

6. चर्चा के दौरान श्री रजनीश क्वात्रा, निदेशक (बीएम-1) ने सुझाव दिया कि हिंदी में शब्दावली, शब्दकोश की सूची उपलब्ध करवाई जाए और इसको whats'App Group में उपलब्ध करा दिया जाए।

(कार्रवाई: निदेशक (रा.भा.))

7. चर्चा के दौरान श्री रणजीत कुमार, अवर सचिव (वीआईपी सुरक्षा) द्वारा सुझाव दिया गया कि इस बैठक से संबंधित whats'App Group में सभी अवर सचिवों का नाम भी शामिल किया जाए। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिया गया कि कंठस्थ पर कार्यशाला का आयोजन एनडीसीसी-1। भवन और मेजर ध्यान चंद स्टेडियम तथा नॉर्थ ब्लॉक में भी किया जाए।

(कार्रवाई: निदेशक (रा.भा.))

8. चर्चा के दौरान श्री प्रवीण यादव, उप सचिव (प्रशासन) ने सुझाव दिया कि **कंठस्थ-2.0** सॉफ्टवेयर को ई-ऑफिस से कनेक्ट करवाया जाए। साथ ही, इसका मॉड्यूल भी ग्रुप पर शेयर किया जाए।

(कार्रवाई: निदेशक (रा.भा.))

9. चर्चा के दौरान श्री वाई पी ओझा, उप सचिव (एफसीआरए) ने सुझाव दिया कि **कंठस्थ-2.0** सॉफ्टवेयर को लॉग-इन करने के लिए ओटीपी की समस्या का समाधान किया जाए। इसमें अधिक समय लग रहा है।

(कार्रवाई: निदेशक (रा.भा.))

10. चर्चा के दौरान सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनवरी से मार्च, 2023 तक मंत्रालय के सभी अनुभाग अधिकारियों/सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए टिप्पण और आलेखन विषय पर कुल 09 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि इन कार्यशालाओं में जिन अनुभाग अधिकारियों/सहायक अनुभाग अधिकारियों ने भाग नहीं लिया उनके लिए एक और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

(कार्रवाई: निदेशक (रा.भा.))

अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

**गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2023 को सम्मेलन
कक्ष,123 नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्य**

क्र.सं.	नाम / पदनाम	स्थिति
1.	सुश्री सहेली घोष राँय, संयुक्त सचिव (सी.आई.सी)	अध्यक्ष
2.	सुश्री निष्ठा तिवारी, निदेशक (आई एस-1)	सदस्य
3.	श्री अमर जीत सिंह, निदेशक, (बी.एन-11)	सदस्य
4.	श्री रजनीश कवात्रा, निदेशक (टी.आई.सी/ बी.एम-1)	सदस्य
5.	सुश्री अर्चना वर्मा , निदेशक (आई एस-1)	सदस्य
6.	श्री अरूण कुमार ध्यानी, निदेशक (पूर्वोत्तर)	सदस्य
7.	श्री योगेन्द्र प्रसाद ओझा, उप सचिव	सदस्य
8.	श्री प्रदीप कुमार यादव, उप सचिव	सदस्य
9.	श्री गंगा कुमार सिन्हा, उप सचिव	सदस्य
10.	श्री विकास जेटली, उप सचिव	सदस्य
11.	श्री लक्ष्मीकांत हालदार, उप सचिव (डब्ल्यू एस-II)	सदस्य
12.	सुश्री अल्का शर्मा, अवर सचिव (एलडब्ल्यूई-II एवं III)	सदस्य
13.	श्री रणजीत कुमार, अवर सचिव (वी.आई.पी.सुरक्षा)	सदस्य
14.	श्री विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव	सदस्य
15.	सुश्री गोल्डी चजगोत्रा, अवर सचिव	सदस्य
16.	श्री अनिल कुमार,अवर सचिव (जम्मू एवं कश्मीर)	सदस्य
17.	सुश्री ललिता जे. हेडाऊ, अवर सचिव (बीएम-1)	सदस्य
18.	श्री राकेश कुमार सिंह, अवर सचिव (यूटीएस-1)	सदस्य
19.	श्री जीतेन्द्र कुमार झा, अवर सचिव,(टी.आई.सी)	सदस्य
20.	श्री आर.के.श्रीवास्तव, सहायक निदेशक	सदस्य
21.	श्री रोहताश कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईसी-1)	सदस्य
22.	श्री प्रभात कुमार पाणिग्राही, अनुभाग अधिकारी (महिला सुरक्षा-11)	सदस्य
23.	श्री अजीतपाल सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी(पीएम-11)	सदस्य
24.	श्री सलिल कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य
25.	श्री प्रवीण चन्द्र झा, सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य
26.	श्री दुर्गेश प्रसाद सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य
27.	श्री विकास, सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य

28.	श्री शिव राम गिरी, निरीक्षक, (प्रापण अनुभाग)	सदस्य
29.	श्री अजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक(बी.एम-6)	सदस्य
30.	श्री नंदन कुमार सिंह, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (पब्लिक अनुभाग)	सदस्य
31.	श्री बृजपाल, परामर्शदाता	सदस्य
32.	श्री बचन यादव, परामर्शदाता (एफएफआर प्रभाग)	सदस्य
33.	श्री वीरेन्द्र सिंह, परामर्शदाता	सदस्य
34.	श्री राकेश कुमार, निदेशक (रा.भा)	सदस्य सचिव
अन्य उपस्थित		
35.	श्री राजकुमार सिंह, सहायक निदेशक	
34.	सुश्री मीनाक्षी शर्मा, अनुभाग अधिकारी	
35.	श्री अजय कुमार सरोज, वैयक्तिक सहायक	
36.	सुश्री अनुपम आर्या, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	
36.	सुश्री डिम्पल रानी, डाटा एंट्री ऑपरेटर	